अपील क्रमाँक ए–92/रासूआ/06/15/सीहोर/06

श्री संतोष कुमार साहू,
अपीलकर्ता
स्टेशन रोड,गल्ला मण्डी,
जिला सीहोर मध्यप्रदेश
पिन – 466 002 ।

विरूद्ध
प्रमुख सचिव, अपीलीय
अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल–मध्यप्रदेश ।

आदेश
(13.6.2006)

श्री संतोष कुमार साहू (अपीलकर्ता आवेदक) ने यह अपील सूचना का अधिकार, 2005 (अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता आवेदक ने एक आवेदन पत्र वन मण्डलाधिकारी, सीहोर के कार्यालय में दिया था जिसमें सभी विभागों के जिसमें वन विभाग सम्मिलित है, के दैनिक वेतनकर्मी और मस्टर रोल कर्मी की जानकारी चाही थी । इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आवेदन–पत्र के साथ एक प्रारूप भी संलग्न किया था । इस आवेदन–पत्र में मुख्य सचिव, म.प्र. शासन–वल्लभ भवन भोपाल के कार्यालय का नाम दिया गया था, लेकिन आवेदन वन मण्डलाधिकारी,सीहोर को दिया गया था ।

2. वन मण्डलाधिकारी, सीहोर ने अपीलकर्ता आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारी उसे प्रदान कर दी थी और साथ ही में एक पत्र प्रमुख सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा कि अपीलकर्ता ने जिस संबंध में जानकारी चाही है, वह उनके कार्यालय से उपलब्ध कराना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने राज्य स्तरीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवेदन पत्र प्रमुख सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा था । उसके पश्चात् दिनांक 23.12.05 को एक पत्र अपीलकर्ता ने प्रमुख सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जिसमें उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया था ।

3. अपीलकर्ता का यह कहना है कि उसने जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में दिनांक 19.1.06 को अपील के लिए 50 रूपये का शुल्क वन मण्डलाधिकारी, सीहोर के कार्यालय में जमा किया था और उसकी रसीद भी प्राप्त की थी, लेकिन

उन्होंने किस अधिकारी को अपील प्रस्तुत की और कब प्रस्तुत की, इसका उल्लेख अपने अपील आवेदन पत्र में नहीं किया है । उन्होंने अपनी अपील ज्ञापन आवेदन के साथ प्रथम अपीलीय अधिकारी को जो अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसकी प्रति भी संलग्न नहीं की है ।

4. इस प्रकरण में सुनवाई दिनांक 12 जून 06 को प्रातः 11.30 बजे निर्धारित की गई थी, लेकिन 12.10 तक अपीलकर्ता आवेदक उपस्थित नहीं हुए । सामान्य प्रशासन विभाग से श्री संतोष कुमार जैन, अवर सचिव उपस्थित हुए । अपीलकर्ता की 40 मिनट तक प्रतीक्षा करने के उपरांत प्रकरण में सुनवाई की गई ।

5. इस प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने राज्य स्तरीय जानकारी चाही है, लेकिन आवेदन पत्र वन मण्डलाधिकारी, सीहोर के कार्यालय में दिया है । वन मण्डलाधिकारी, सीहोर ने अपने कार्यालय से संबंधित जानकारी अपीलकर्ता को उपलब्ध करा दी है और इस संबंध में अपीलकर्ता को कोई शिकायत नहीं है । अपीलकर्ता ने अपनी अपील में यह उल्लेख किया है कि उसे निर्धारित समय पर जानकारी नहीं मिलने पर उसने 19.1.06 को वन मण्डलाधिकारी, सामान्य सीहोर के कार्यालय में 50 रूपये अपील शुल्क हेतु जमा किए थे । इस विषय पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन उसने किस अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की, यह अपील के ज्ञापन में उल्लेखित नहीं किया गया है और न ही अपीलीय अधिकारी का नाम दिया गया है जिसके समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । जो अपील प्रस्तुत की गई है,वह अपील ज्ञापन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । केवल अपील के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने से ही अपील की कार्यवाही की जाना नहीं माना जा सकता है जब तक कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत न की जाए । इस प्रकरण में अपीलकर्ता ने किसी भी अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील नहीं प्रस्तुत की है, ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील श्रवण योग्य नहीं है, अतः यह अपील निरस्त की जाती है । अपीलकर्ता यदि लोक सूचना अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट हैं तो प्रथम अपील संबंधित अपील अधिकारी के समक्ष कर सकते हैं ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
13 जून, 2006